"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 115] रायपुर, शनिवार, दिनांक 30 मार्च 2013— चैत्र 9, शक 1935

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, केपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-12/2013/वा. कर (आब.)/पांच (18).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) तथा उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी/देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

1. उक्त नियमों में :-

(1) प्रारूप एफ. एल. 1 (घ) की शर्त क्रमांक 1 में वर्तमान प्रावधान के अलावा निम्नानुसार वाक्य स्थापित किया जाता है :- "छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन को विदेशी मदिरा (स्प्रिट एवं माल्ट) की कीमत (प्रदाय दर) का भुगतान ऑन-लाईन (On-Line) माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा."

(2) प्रारूप एफ. एल. 1 (घ) की शर्त क्रमांक 6-क के वाक्यांश "निरीक्षण पुस्तिका" शब्द के पश्चात् "एवं लेखा पंजी" शब्द स्थापित किया जाता है.

(3) प्रारूप एफ. एल. 1 (घ) की शर्त क्रमांक 8 (क) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

शर्त क्रमांक 8 (क) :- किसी भी लायसेंसी की मदिरा दुकान में यदि उच्च, उच्चतर अथवा उच्चतम रेंज की मदिरा की खपत निर्धारित मात्रा अनुसार न हो तो ऐसी स्थिति में उच्च, उच्चतर एवं उच्चतम रेंज की निर्धारित मात्रा अनुसार ड्यूटी राशि का चालान जमा करना अनिवार्य होगा, परन्तु उतनी ही मात्रा का निम्न अथवा मध्यम रेंज की विदेशी मदिरा स्प्रिट का क्रय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जा सकेगा.

अनुज्ञप्तिधारी निम्न एवं मध्यम रेंज की निर्धारित स्लेबवार मात्रा के स्थान पर आवश्यकतानुसार क्रमश: उतनी ही मात्रा का उच्च, उच्चतर अथवा उच्चतम रेंज की मदिरा की निर्धारित ड्यूटी राशि जमा कर मदिरा क्रय कर सकेगा. इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा माह के लिए निर्धारित की गई संपूर्ण न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठान एवं निर्धारित की गई संपूर्ण ड्यूटी राशि जमा किया जाना अनिवार्य होगा. परन्तु किसी भी माह के लिए विदेशी मदिरा स्प्रिट की निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में से ड्यूटी राशि जमा करने से शेष रही मात्रा के लिए स्लेबवार निर्धारित ड्यूटी दर अनुसार शास्ति के लिए अनुज्ञप्तिधारी दायी होगा. निर्धारित न्यूनतम प्रात्याभूत मात्रा की राशि से मास के अंतिम कार्य दिवस तक बिना उठाई गई मदिरा की मात्रा को समपहृत कर लिया जायेगा. "

(4) प्रारूप एफ. एल. 1 (घ) की शर्त क्रमांक 17 में 02 अक्टूबर (गांधी जयंती), के पश्चात् "18 दिसम्बर" अंक एवं शब्द में स्थापित किया जाता है.

(5) छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के प्रारूप एफ. एल. 1 (ख) अहाता अनुज्ञप्ति की शर्त क्रमांक 6 के पश्चात् निम्नानुसार शर्त क्रमांक 6-क स्थापित किया जाता है :-

"पर्यावरण एवं साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए विदेशी मदिरा दुकान के स्वीकृत अहाता में डिस्पोजेबल ग्लास एवं पानी के पाउच का उपयोग/विक्रय प्रतिषिद्ध रहेगा."

(6) प्रारूप सी. एस. 2 (घ) की शर्त क्रमांक 9-क के वाक्यांश "निरीक्षण पुस्तिका" शब्द के पश्चात् "एवं लेखा पंजी" शब्द स्थापित किया जाता है.

(7) प्रारूप सी. एस. 2 (घ) की शर्त क्रमांक 11 में 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), के पश्चात् "18 दिसम्बर" अंक एवं शब्द स्थापित किया जाता है.

(8) प्रारूप सी. एस. 2 (घ) की शर्त क्रमांक 22 के पश्चात् निम्नानुसार शर्त क्रमांक 22-क स्थापित किया जाता है :- "पर्यावरण एवं साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए देशी मदिरा दुकान के अहाता में डिस्पोजेबल ग्लास एवं पानी के पाउच का उपयोग/विक्रय प्रतिषिद्ध रहेगा."

2. उक्त संशोधन दिनांक 01 अप्रैल 2013 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-13/2013/वा. कर (आब.)/पांच (19).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) तथा उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

1. उक्त नियमों में :-

(1) नियम 4 के उप-नियम (4) में शब्द एवं अंक "रुपये 5.00 करोड़ " के स्थान पर शब्द एवं अंक "रुपये 8.00 करोड़ " प्रतिस्थापित किया जाय.

(2) नियम 14 के खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड (ग) प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(ग) दिनांक 01-04-2013 से देशी/विदेशी मदिरा के लिए मदिरा प्रदाय पर ड्यूटी की दरें नीचे सारणी में दर्शाये अनुसार होंगी :-

क्रमांक (1)	मदिरा का प्रकार (2)	ड्यूटी दर (3)
1.	**देशी मदिरा :-**	
	मसाला 25.0 U. P.	रुपये 68/- प्रति प्रूफलीटर
	प्लेन 50.0 U. P.	
	रासी 60.0 U. P.	
2.	**विदेशी मदिरा (स्प्रिट) :-**	
	लैंडिग प्राईस (प्रति पेटी अर्थात् 12 बोतल)	ड्यूटी दर
	(i) रुपये 700/- तक	रुपये 85/- प्रति प्रूफलीटर
	(ii) रुपये 701/- से 1000/-तक	रुपये 100/- प्रति प्रूफलीटर
	(iii) रुपये 1001/- से 1500/-तक	रुपये 115/- प्रति प्रूफलीटर
	(iv) रुपये 1501/- से 2000/-तक	रुपये 130/- प्रति प्रूफलीटर
	(v) रुपये 2001/- और उससे अधिक	रुपये 150/- प्रति प्रूफलीटर
3.	**बीयर (माल्ट मदिरा)**	रुपये 22/- प्रति बल्क लीटर
4.	विदेशी मदिरा (स्प्रिट) सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों/उनकी संस्थाओं/क्लबों के लिए	
	(क) विदेशी मदिरा (स्प्रिट)	रुपये 30/- प्रति प्रूफलीटर
	(ख) माल्ट लिकर बीयर (बीयर)	रुपये 8/- प्रति बल्क लीटर

स्पष्टीकरण :- 1. विदेशी मदिरा (स्प्रिट) में सम्मिलित है, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन, वाईन, लिकर्स, कार्डियल्स, बिटर्स, मिक्चर्स तथा अन्य निर्मितियों, जो स्प्रिट युक्त हों.

2. माल्ट मदिरा में सम्मिलित है, बीयर, स्टाउट, एल, पोर्टर, साईडर इत्यादि.

3. नियम 23 के उप-नियम (1) के खण्ड (च) के उप-खण्ड (एक) में शब्द एवं अंक "रुपये 54/-" के स्थान पर "रुपये 68/-", शब्द एवं अंक "रुपये 71.50/- " के स्थान पर "स्लेबवार निर्धारित ड्यूटी दर अनुसार" एवं शब्द एवं अंक "रुपये 20/-" के स्थान पर "रुपये 22/-" प्रतिस्थापित किया जाय.

2. उक्त संशोधन दिनांक 01-04- 2013 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2013

क्रमांक एफ 10-13/2013/वा. कर (आब.)/पांच (19).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-13/2013/वा. कर. (आब.)/पांच (19), दिनांक 30-03-13 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th March 2013

NOTIFICATION

No. F 10-13/2013/CT/EX/V (19).—In exercise of the powers conferred by clause (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) and proviso of sub-section (3) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Excise Settlement of Licenses for retails sale of Country/Foreign Liquor Rules, 2002, namely :-

AMENDMENT

1. In the aforesaid Rules : -

(i) In Sub-rule (4) of Rule 4 for the word and figures "Rupees 5.00 crore" the words and figures "Rupees 8.00 crore" shall be substituted.

(ii) In clause (c) of Rule 14, the following clause (c) shall be substituted, namely :-

" (c) The rate of duty of retail shops of country/foreign liquor for issue of liquor, from 01-04-2013 shall be as per table given below :-

TABLE

S. No. (1)	Kind of Liquor (2)	Duty Rate (3)
1.	**Country Liqour** :- Masala 25.0 U. P. Plain 50.0 U. P. Rasi 60.0 U. P.	Rs. 68/- per P. L.
2.	**Foreign Liqour - (Spirit)**	
	Landing Prize per case	**Duty Rate**
	(i) Up to Rs. 700/-	Rs. 85/- per P. L.
	(ii) Rs. 701/- to Rs. 1000/-	Rs. 100/- per P. L.
	(iii) Rs. 1001/- to Rs. 1500/-	Rs. 115/- per P. L.
	(iv) Rs. 1501/- to Rs. 2000/-	Rs. 130/- per P. L.
	(v) Rs. 2001/- and above	Rs. 150/- per P. L.
3	**Malt liquor**	Rs. 22/- per B. L.
4	(a) Foreign liquor (Spirit) for Army and Para Military Forces/Their Institution/ Clubs.	Rs. 30/- per P. L.
	(b) Malt Liquor (Beer)	Rs. 8/- per P. L.

Explanation :-

1. Foreign liquor (Spirit) will include Whishky, Brandy, Rum, Gin, Wine, Liqueurs, Cordials Bitters, Mixtures and other preparation containing spirit.

2. Malt Liquor includes Beer, Stout, Ale, Porter, Cider, etc,

(3) In Sub-clause (i) of clause (f) of sub-rule (1) of Rule 23 for the words & figures "Rs. 54/-" the words & figures "Rs. 68/-, the words & figures "Rs. 71.50/-" the words & figures " the words as per the prescribed slabwise duty rate" and for the words & figures 'Rs. 20/-" the words & figures "Rs. 22/-" shall be substituted.

2. This Notification shall come into force with effect from 01 April 2013

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ10-14/2013/वा. कर (आब.)/पांच (20).— छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 8 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस निमित्त जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/27/2003 वा. कर (आब.)/पांच (34), रायपुर दिनांक 10 अप्रैल 2003 को अतिष्ठित करते हुए एतद्द्वारा प्ररूप एफ. एल. 5 में मंजूर की जाने वाली आकस्मिक अनुज्ञप्ति के लिये अनुज्ञप्ति फीस के रूप में रुपये 20,000/- (रुपये बीस हजार) मात्र प्रतिदिन विहित करती है. यह संशोधन दिनांक 01 अप्रैल 2013 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2013

क्रमांक एफ 10-14/2013/वा. क. (आब.)/पांच -(20).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक F 10-14/2013/वा. क. (आब.)/पांच (20) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th March 2013

NOTIFICATION

No. F 10-14/2013/CT/(EX)/V (20).—In exercise of the powers conferred by sub-Rule (2) of rule 8 of the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules 1996 and in supersession to the notification No. F 10/27/2003/CT (EX)/V (34), dated 10-04-2003 issued in this behalf the State Government hereby prescribed the fee of F. L. 5 per day Rs. 20,000/- (Twenty thousand). This amendment shall come into force with effect from 01 April 2013.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-15/2013/वा. कर (आब.)/पांच (21).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के उपखण्ड (दो) सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप-नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस निमित्त जारी की गई पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 10-2/2009/ वा. कर (आब.)/पांच (05), दिनांक 22 जनवरी 2009 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में वर्णित अनुज्ञप्तियों के लिये, कॉलम (3) में विहित मापदण्डों के अनुसार, कॉलम (4) में यथा दर्शित वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निर्धारित करती है :-

सारणी

क्र. (1)	अनुज्ञप्ति का प्रकार (2)	मापदण्ड (3)	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (4)
1.	एफ. एल. 2 अनुज्ञप्ति (सार्वजनिक गृह या रेस्टारेंट बार अनुज्ञप्ति)	(क) ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो.	रु. 3,00,000/-
		(ख) ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो.	रु. 4,00,000/-
		(ग) ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो.	रु. 5,00,000/-
2.	एफ. एल. 3 अनुज्ञप्ति (होटल बार अनुज्ञप्ति)	(क) ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो.	रु. 9,00,000/-
		(ख) ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो.	रु. 12,00,000/-
		(ग) ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो.	रु. 15,00,000/-

2. नगर की सीमा से 10 कि. मी. की परिधि में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट फीस वही होगी, जो उस नगर के लिए लागू हो.

3. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2013 से प्रवृत्त होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2013

क्रमांक एफ 10-15/2013/वा. कर (आब.)/पांच (21). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-15/2013/वा. कर (आब.)/पांच (21) दिनांक 30-03-13 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th March 2013

NOTIFICATION

No. F 10-15/2013/CT/EX/V (21).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) (h) of sub-section (2) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) read with sub-rule (2) of Rule 8 of the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 and supersession of the previous Notification No. F 10-2/2009/CT(Ex)/v (5) Raipur Dated, 22nd January 2009 issued in this behalf, the State Government hereby, prescribe the annual licence fee as shown in column (4) of the table given below for the licences mentioned in the column (2) according to the norms laid down in column (3) :-

TABLE

S. No. (1)	Type of Licence (2)	Norms (3)	Annual Licence Fee (4)
1.	F. L. 2 Licence (Public houses or Restaurant Bar)	(a) For a town/place of which the population does not exceeds one lac.	Rs. 3,00,000/-
		(b) For a town/place of which the population does not exceeds one lac, but does not exceeds Three lacs.	Rs. 4,00,000/-
		(c) For a town/place of which the population exceeds Three lacs.	Rs. 5,00,000/-
2.	F. L. 3 Licence (Hotel Bar Licence)	(a) For a town/place of which the population does not exceeds one lac.	Rs. 9,00,000/-
		(b) For a town/place of which the population does not exceeds one lac, but does not exceeds Three lacs.	Rs. 12,00,000/-
		(c) For a town/place of which the population exceeds Three lacs.	Rs. 15,00,000/-

2. For the Hotel;/Restaurant situated within a radius of 10 Km. of the boundary of a town the licence fee will be the same as applicable to such town.

3. This Notification shall come into force with effect from 01 April 2013

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-16/2013/वा. कर (आब.)/पांच (22).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) तथा उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

1. उक्त नियमों में :-

(1) प्रारूप एफ. एल.-2 रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति की शर्त क्रमांक 2 के पश्चात् शर्त क्रमांक 2 क निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :- "इस अनुज्ञप्त परिसर में केवल एक बार रूम (मदिरापान का स्थान), एक स्कंध रूम (स्टाक रूम) एवं एक ही मदिरा परोसने का काउन्टर के संचालन की अनुमति रहेगी."

(2) प्रारूप एफ. एल.-2 रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति की शर्त क्रमांक 3 के पश्चात् शर्त क्रमांक 3-क निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :- "एफ. एल.-1 (घ) अनुज्ञप्तिधारी हेतु विदेशी मदिरा माल्ट के लिये निर्धारित अधिकतम फुटकर विक्रय दर से न्यूनतम 20 प्रतिशत अधिक दर पर इस अनुज्ञप्त परिसर में विक्रय किया जावेगा. इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारी को मदिरा का खुली बोतलों से फुटकर (लूज) विक्रय हेतु विक्रय दर इस प्रकार निर्धारित करना होगा जो विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों से विक्रय की जाने वाली मदिरा की अधिकतम फुटकर विक्रय दर से कम से कम 20 प्रतिशत अधिक हो."

(3) प्रारूप एफ. एल.-2 रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति की शर्त क्रमांक 7-अ के पश्चात् शर्त क्रमांक 7-ब निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :- "इस अनुज्ञप्त परिसर में विक्रय हेतु विदेशी मदिरा माल्ट की 500 मि. ली. धारिता वाली बोतल/केन से अन्यून धारिता वाली बोतलों को विक्रय हेतु नहीं रखेगा."

(4) प्रारूप एफ. एल.-3 होटल बार अनुज्ञप्ति की शर्त क्रमांक 2 के पश्चात् शर्त क्रमांक 2-क निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :- "इस अनुज्ञप्त परिसर में केवल एक बार रूम (मदिरापान का स्थान), एक स्कंध रूम (स्टाक रूम) एवं एक ही मदिरा परोसने का काउन्टर के संचालन की अनुमति रहेगी. परन्तु एफ. एल.-3 होटल बार अनुज्ञप्तिधारियों को उनके होटल के कमरों में ठहरे हुए अतिथियों को कमरों में मदिरापान की सुविधा देने की अनुमति रहेगी."

(5) प्रारूप एफ. एल.-3 होटल बार अनुज्ञप्ति की शर्त क्रमांक 3 के पश्चात् शर्त क्रमांक 3-क निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :- "एफ. एल.-1 (घ) अनुज्ञप्तिधारी हेतु विदेशी मदिरा स्प्रिट एवं माल्ट के लिये निर्धारित अधिकतम फुटकर विक्रय दर से न्यूनतम 20 प्रतिशत अधिक दर पर इस अनुज्ञप्त परिसर में विक्रय किया जावेगा. इस प्रकार अनज्ञुप्तिधारी को मदिरा का खुली बोतलों से फुटकर (लूज) विक्रय हेतु विक्रय दर इस प्रकार निर्धारित करना होगा जो विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों से विक्रय की जाने वाली मदिरा की अधिकतम फुटकर विक्रय दर से कम से कम 20 प्रतिशत अधिक हो."

(6) प्रारूप एफ. एल.-3 होटल बार अनुज्ञप्ति की शर्त क्रमांक 6-अ के पश्चात् शर्त क्रमांक 6-ब निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :- "इस अनुज्ञप्त परिसर में विक्रय हेतु विदेशी मदिरा स्प्रिट की 750 मि. ली. धारिता वाली बोतल एवं विदेशी मदिरा माल्ट की 500 मि. ली. धारिता वाली बोतल/केन से अन्यून धारिता वाली बोतलों को विक्रय नहीं रखेगा."

2. उक्त संशोधन दिनांक 01अप्रैल 2013 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी . त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-17/2013/वा. कर (आब.)/पांच (23).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 8 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी की गई पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 10-23/2012/ वा. कर (आब.)/पांच (29), दिनांक 16 मई 2012 को अतिष्ठित करते हुए , राज्य शासन एतद्द्वारा ऐसी विदेशी मदिरा (बीयर को अपवर्जित करते हुए), जिसकी लैंडिंग प्राईस रुपये 825/- (अक्षरी रुपये आठ सौ पचीस) प्रति पेटी (अर्थात् 12 क्वार्ट बोतल) तक हो, का विदेशी मदिरा एफ. एल. 1 घ फुटकर दुकान से एफ. एल. 3 होटल बार अनुज्ञप्तिधारियों के लिए परिवहन प्रतिषिद्ध करती है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2013 से प्रवृत्त होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी . त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2013

क्रमांक एफ 10-17/2013/वा. कर (आब.)/पांच (23).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-17/2013/वा. कर (आब.)/पांच (23), दिनांक 30-03-13 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी . त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th March 2013

NOTIFICATION

No. F 10-17/2013/CT/EX/V (23).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 8 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and supersession of the previous Notification No. F. 10-23/2012/CT(Ex)/V (29), Raipur Dated, 16 May, 2012 issued in this behalf, the State Government hereby, prohibits transportation of such Foreign liquor (excluding Beer) of which landing price is upto Rs. 825/- (In words Rs. Eight Hundred Twenty Five) per case (i.e. 12 Quart Bottles) from F. L. ID retail shop of Foreign liquor to the licensees of F. L. 3 Hotel Bar Licence.

2. This notification shall come into force with effect from 1st April, 2013.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-18/2013/वा. कर (आब.)/पांच (24).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज)सहपठित उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

1. उक्त नियमों में :-

(i) नियम 8 (1) के "(ङ)" के पश्चात् एवं "(च)" के पूर्व नवीन उपखण्ड अंत:स्थापित किया जावे अर्थात्

"(ङ-1)" एफ. एल. 5क (मदिरा के उपभोग के लिये प्रासंगिक अनुज्ञप्ति)" -एफ. एल. 5क का अनुज्ञप्तिधारक, नृत्य, खेलकूद अथवा अन्य प्रकार के अस्थायी प्रकृति के लोक मनोरंजन के अवसर पर अनुज्ञप्ति से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिसरों में विदेशी मदिरा रख सकेगा और उपभोग कर सकेगा".

(ii) इन नियमों से संलग्न प्रारूप एफ. एल. 5 के पश्चात् निम्न प्रारूप अत:स्थापित किया जावे, अर्थात्

एफ. एल. 5क (मदिरा के उपभोग के लिये प्रासंगिक अनुज्ञप्ति)

विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम (1) के खण्ड (ङ) के अधीन और अनुज्ञप्ति फीस रुपये .... जिसका अग्रिम संदाय किया जा चुका है के प्रतिफल में श्री .... को विदेशी मदिरा खुली बोतलों में से फुटकर उपभोग कराने हेतु नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित अनुज्ञप्त परिसर में दिनांक .... को निम्नलिखित कार्यों के अध्यधीन रहते हुए एतद्द्वारा यह अनुज्ञप्ति शर्तें स्वीकृत की जाती है.

1. अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा का क्रय जिले के ऐसे एफ. एल. 1 अथवा (एफ. एल. 1) क या एफ. एल. 1 क क [1] (एफ. एल. 1 ककक) अनुज्ञप्तिधारियों से करेगा जैसा कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे.

2. यह अनुज्ञप्ति परिसर में विदेशी मदिरा के फुटकर (लूज) उपभोग की अनुज्ञा देती है.

3. अनुज्ञप्तिधारक मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त विदेशी मदिरा का न तो स्टॉक करेगा और न ही उपभोग हेतु परोसेगा.

4. इस अनुज्ञप्ति के अधीन किसी एक समय में विदेशी मदिरा को कब्जे में रखने की अधिकतम मात्रा जिला आबकारी अधिकारी द्वारा नियत किए गए अनुसार होगी.

5. माल्ट मदिरा से भिन्न विदेशी मदिरा का संपूर्ण स्टांक 750 मि. ली. क्षमता से छोटे परिमाप सीलबंद अथवा खुली बोतलें, कब्जे में नहीं रखेगा.

6. अनुज्ञप्तिधारक प्राप्त स्टॉक के सभी अनुज्ञापत्र एवं बीजक (इनवाइस) उचित अनुक्रम में सुरक्षित रखेगा तथा निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा.

7. अनुज्ञप्तिधारक प्राप्त की गई, स्टॉक की गई, उपभोग की गई विदेशी मदिरा का सही लेखा एवं अवशेष स्टॉक का सही लेखा संधारित करेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की समाप्ति के तीन कार्य दिवस के भीतर लेखा जिला आबकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेगा.

8. इस अनुज्ञप्ति के अधीन उपभोग .... पूर्वान्ह/अपरान्ह बजे से .... पूर्वान्ह/अपरान्ह बजे तक किया जा सकेगा. जिसकी अधिकतम अवधि 4 घंटे की होगी.

9. अनुज्ञप्तिधारक इस अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक् रूप से पालन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा.

10. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तों की क्रमांक 2, 16, 27, 29 तथा 30 को छोड़कर शेष समस्त शर्तों से आबद्ध है.

11. विदेशी मदिरा के उपभोग की अनुमति अनुज्ञप्त परिसर में ही होगी.

12. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति फीस का 50% सुरक्षा निधि के रूप में जमा करेगा, जो कि किसी प्रकार की बकाया न होने की दशा में वापसी योग्य होगी.

13. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति की समाप्ति के तीन कार्य दिवस के भीतर लेखा, जिला आबकारी कार्यालय में प्रस्तुत न करने की दशा में सम्पूर्ण सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी तथा भविष्य में उसे किसी भी प्रकार की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निषिद्ध कर दिया जावेगा.

14. इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी अनुबंध अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन पर यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द की जा सकेगी.

तारीख.........................

कलेक्टर
जिला -

अनुसूची
(अनुज्ञप्त परिसर को दर्शाने वाली)

स्थल का वर्णन	अनुज्ञप्त परिसर की सीमाएं			
	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

2. यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी . त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.